

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील डिक्री /टीए/1/2005/दौसा

- 1- बुद्धि पत्नि नानगा (मृतक) जरिये वारिसान
 1/1 रामबाई पुत्री बुद्धि
 1/2 प्रेम पुत्री बुद्धि
 1/3 काली पुत्री बुद्धि
 1/4 राजन्ती पुत्री बुद्धि
 1/5 केसी पुत्री बुद्धि
 समस्त निवासी करनावर हाल निवासी टिवाई, तहसील बसवा जिला दौसा।
- 2- रामहेत पुत्र नानगा
- 3- रामस्वरूप पुत्र नानगा
- 4- छोटेला पुत्र नानगा
 समस्त जाति माली निवासी करनावर तहसील बसवा जिला दौसा।

.....अपीलांट्स

बनाम

- 1- मूली पुत्री पन्ना (मृतक)जरिये वारिसान:-
 1/1 मोतीलाल पुत्र पूनीराम
 1/2 मिटटू पुत्र पूनीराम
 1/3 रामा पुत्री पूनीराम
 1/4 गुल्ली पुत्री पूनीराम निवासी ग्राम करनावर, तहसील बसवा जिला दौसा
 हाल निवासी उमरेन तहसील व जिला अलवर।
- 2- धन्नी पुत्री पन्ना (मृतक) जरिये वारिसान:-
 2/1 लक्ष्मण पुत्र
- 3- गेंदी पुत्री पन्ना
- 4- कोशी पुत्री पन्ना
- 5- लल्ली पुत्री पन्ना (मृतक) जरिये वारिसान:-
 5/1 विक्रम पुत्र किशन माली
 5/2 रामसिंह पुत्र किशन माली
 5/3 विश्राम पुत्र किशन माली
 5/4 रामकरण पुत्र किशन माली
 समस्त निवासी ग्राम करनावर तहसील बसवा जिला दौसा हाल निवासी गांव
 सलोली तहसील राजगढ जिला अलवर।
- 6- गंगो पुत्री पन्ना

2
अपील डिक्री /टीए/1/2005/दौसा

- 7— मक्खन लाल पुत्र मूल्या
8— दयाला पुत्र सुक्खा
9— लटूर पुत्र सुक्खा (मृतक) जरिये वारिसान:—
9/1 श्रीमती ललिता देवी पत्नि लटूर
9/2 कमलेश पुत्र लटूर
9/3 लालाराम पुत्र लटूर
9/4 काली पुत्री लटूर
9/5 गुड्डी पुत्री लटूर
समस्त जाति माली निवासी बिवाई तहसील बसवा जिला दौसा।
10— छोटू पुत्र सुक्खा
11— मोती लाल पुत्र सोन्या
समस्त जाति माली निवासी करनावर तहसील बसवा जिला दौसा।
12— रामबाई पुत्री नानगा
13— राजी पुत्री नानगा
दोनो जाति माली निवासी करनावर हाल बिवाई तहसील बसवा जिला दौसा।
14— प्रेम पुत्री नानगा नाबालिग बविलायत मु० बुद्धि पत्नि नानगा
15— काली पुत्र नानगा नाबालिग बविलायत मु० बुद्धि पत्नि नानगा
16— रामहेत पुत्र भरतया
समस्त जाति माली निवासी करनावर हाल बिवाई तहसील बसवा जिला दौसा।
17— साध्या पुत्र पन्ना जाति मीणा निवासी करनावर तहसील बसवा जिला दौसा (मृतक)
18— लदुर पुत्र हट्या जाति मीणा निवासी करनावर तहसील बसवा जिला दौसा (मृतक)
19— बुद्धा पुत्र छोट्या
20— मु० लड्डा पुत्री पन्ना
21— मु० छोटी पुत्री पन्ना
समस्त जाति माली निवासी करनावर तहसील बसवा जिला दौसा।
22— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बसवा जिला दौसा।

रेस्पोंडेण्ट्स.....

खण्ड पीठ

डॉ० शिव प्रसाद सिंह, सदस्य

डॉ० महेन्द्र लोढ़ा, सदस्य

उपस्थित:-

श्री अजीत लोढ़ा, अधिवक्ता अपीलाण्ट की ओर से।

श्री राकेश अरोड़ा, अधिवक्ता रेस्पो0 की ओर से।

निर्णय

दिनांक:-12.06.2026

- 1- यह अपील मण्डल के समक्ष धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर द्वारा अपील संख्या 35/2004 में पारित निर्णय दिनांक 08-12-2004 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।
- 2- विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पत्रावली पर सुनी गयी।
- 3- विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने दौराने बहस अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अपने कथनों के समर्थन में अभिकथन किया कि न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी ने उनके आक्षेपित निर्णय से अपनी अपीलीय शक्तियों से परे जाकर जो निर्णय पारित किया है वह काबिल निरस्तनीय है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय आदेश 41 नियम 31 की अनुपालना में नहीं है उन्होंने प्रत्येक तनकी पर रिकार्ड पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य का उल्लेख व विवेचन करे बगैर ही आक्षेपित निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह माना है कि इश्यू नम्बर एक को निर्णित करते हुए कि दौराने वाद किये गये बेचान में खरीददार को पक्षकार बनाये बिना दावा चलने योग्य नहीं है और ना ही वादी/अप्रार्थी का विवादग्रस्त आराजीयात पर कब्जा है एवं नानगा के पक्ष में की गयी रजिस्टर्ड वसीयत को भी चैलेन्ज नहीं किया गया परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त फाईण्डिंग पर अपने निर्णय में कोई टिप्पणी नहीं दी है। अधीनस्थ न्यायालय ने इश्यू नम्बर एक को निर्णित करते वक्त यह माना है कि कोई ऐसा दस्तावेज रिकार्ड पर नहीं है जिससे यह माना जा सके कि विवादग्रस्त आराजी पन्ना की स्वअर्जित सम्पत्ति है या खुद की निजी खरीद की फिर भी उन्होंने विल के बाबत जो टिप्पणी की है वह पूर्णतः विधि विरुद्ध है। मुसम्मात सुगरी ने नानगा को अपना लडका मानते हुए वसीयत की है एवं मौजूदा अपीलाण्ट ने अपनी सबल व सक्षम साक्ष्य से वादी के कथनों को मना किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने वसीयत के आधार पर सम्पत्ति सुगरी द्वारा नानगा के पक्ष में किये जाने को विधिसम्मत नहीं माना है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नानगा को सुगरी की रजिस्टर्ड वसीयत से हक व अधिकार प्राप्त होना माना गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने इश्यू नम्बर 2 का निर्णय अप्रार्थी वादी के विरुद्ध किया है जबकि न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी ने उक्त निर्णय इस तनकी पर देते समय कोई यथाउचित फाईण्डिंग नहीं दी। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा तनकी संख्या तीन का निर्णय भी विधि विरुद्ध किया गया है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने रिकार्ड पर उपलब्ध वसीयत एकजीबिट ए वन

वसीयत को भी एवं उस पर दी गयी मौखिक साक्ष्य जिससे उस वसीयत को साबित कराया गया था का भी अपने निर्णय में कोई उल्लेख व विवेचन नहीं किया। अप्रार्थी का कथन था कि दौराने दावा किये गये विक्रय के कारण वादीगण का वाद इस कारण पोषणीय नहीं था कि एक ओर तो वह भूमि की घोषणा का वाद प्रस्तुत कर रहे हैं और दूसरी ओर दौराने वाद भूमि का बेचान कर रहे हैं। वैसे भी अप्रार्थी/वादी संख्या 7 मक्खनलाल का विवादग्रस्त 1/3 हिस्से में कोई हक व हित निहित नहीं है। इश्यू नम्बर 6 का निर्णय भी विधि अनुरूप नहीं किया गया है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने यह गलत तौर पर माना है कि एकजीबिट ए टू मक्खनलाल द्वारा किये गये विक्रय पत्र में खरीददार आवश्यक पक्षकार नहीं है जबकि वह आवश्यक पक्षकार की हैसियत रखता है, चूंकि उन्होंने विवादग्रस्त आराजी की खरीद की है एवं घोषणा का दावा एवं हिस्से का निर्धारण उन्हें पक्षकार नहीं बनाये जाने से पूर्ण रूप से एवं अंतिम तौर पर विधिवत निस्तारित नहीं किया जा सकता। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा इश्यू नम्बर 8 का निर्णय भी सही रूप से नहीं किया गया। तनकी नम्बर 9 का निर्णय अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने केवल मात्र यह कहते हुए निर्णित कर दिया गया कि तनकी संख्या 1 लगायत 8 के निर्णय के अनुसरण में यह तनकी भी प्रतिवादी/अपीलाण्ट के विरुद्ध तय की जाती है जो कि पूर्णतः गलत है, अपीलीय न्यायालय को इस तथ्य की उनके समक्ष उपलब्ध रिकार्ड व साक्ष्य से यह अवलोकन करने की थी कि एकजीबिट ए टू के परिप्रेक्ष्य में कितनी और भूमि खातेदार के पास उपलब्ध थी जिसका घोषणा का वाद डिक्री किया जा सकता था। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने तनकी संख्या 10 का निर्णय विधि अनुरूप नहीं किया है वादी/अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 एवं वादी संख्या 7 लगायत 11 का हित एक साथ नहीं था चूंकि वादी 7 लगायत 11 का विवादग्रस्त 1/3 हिस्से में कानूनी हक व अधिकार नहीं था इस कारण भी अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा इस तनकी का निर्णय विधिअनुरूप नहीं किये जाने से आदेश जैर अपील निरस्तनीय है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि विवादग्रस्त आराजी के सम्बंध में बंटवारे के वाद लाये बगैर पक्षकारों के हित व अधिकार केवलमात्र घोषणा के वाद से निर्धारित नहीं किये जा सकते। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नम्बर 3 लगायत 11 का निर्णय अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण के पक्ष में किया है परंतु अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने परीक्षण न्यायालय का निर्णय उलट करते वक्त उक्त निर्णय पर कोई फाईण्डिंग रिकार्ड पर उपलब्ध दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य के आधार पर पारित नहीं की है और अपनी अपीलीय शक्तियों का उपयोग नहीं किया है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अपने आप में सैल्फ कोन्ट्राडिक्ट्री है एक ओर तो वह सुगरी द्वारा की गयी नानगा को वसीयत को प्रथम दृष्ट्या शून्य मानते हैं एवं दूसरी ओर उसी वसीयत के द्वारा सुगरी का 1/9 हिस्सा अपीलाण्ट नानगा को देते हैं। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने विपक्षीगण का 8/27 हिस्से का निर्धारण उचित रूप से नहीं

किया है। अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार फरमायी जाकर न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर कैम्प दौसा का निर्णय व डिक्री दिनांक 08-12-2004 निरस्त फरमाया जावे एवं न्यायालय उप जिला कलक्टर बांंदीकुई द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25-03-2004 बहाल रखे जाने का कथन किया।

- 4- इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने दौराने बहस अभिकथन किया कि प्रश्नगत आराजी वाके ग्राम करनावर तहसील बसवा जिला जयपुर में संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। प्रश्नगत आराजी में वादी/रेस्पो0 के पिता मृतक पन्ना का 1/3 हिस्सा दर्ज रिकार्ड था। मृतक पन्ना के कोई पुत्र नहीं था एवं उनकी 8 पुत्रियां तथा उनकी बेवा प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी थे। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अन्तर्गत पन्ना की बेवा व उनकी पुत्रियां प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकार हैं। मृतक पन्ना की मृत्यु के पश्चात् उनकी समस्त भूमि पर उनकी पुत्रियों तथा उनकी पत्नी का बराबर-बराबर हक अधिकार था। मृतक पन्ना की मृत्यु के पश्चात् मृतक पन्ना की समस्त आराजी उनकी पत्नी बेवा सुगरी के नाम दर्ज कर दी तथा सुगरी द्वारा उक्त समस्त भूमि की वसीयत नानगा के पक्ष में जरिये रजिस्टर्ड वसीयत निष्पादित कर दी गयी, जबकि पन्ना की खातेदारी की समस्त भूमि की वसीयत उनकी बेवा सुगरी को करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं था। सुगरी अधिक से अधिक 1/9 हिस्से के बारे में नानगा के पक्ष में वसीयत कर सकती थी। परीक्षण न्यायालय का यह मानना कि पुत्रियां ससुराल में रहती है इसलिए उनका भूमि पर कोई अधिकार नहीं है, उचित नहीं है, क्योंकि पुत्रियों का विवाह करने से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के आधार पर पुत्रियों के हक अधिकार समाप्त नहीं होते हैं। वादीगण/रेस्पो0 द्वारा हक घोषणा खातेदारी का दावा प्रस्तुत किया गया है जिसके लिए कॉज ऑफ एक्शन केवल मात्र पन्ना की मृत्यु की तिथि नहीं हो सकती है। परीक्षण न्यायालय द्वारा पन्ना की मृत्यु के पश्चात् सुगरी के पक्ष में विरासत का नामांतरकरण सही माना गया है परंतु उपरोक्त की पुष्टि बाबत् कोई कारण अंकित नहीं किये गये हैं। परीक्षण न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 03 लगायत 11 जिन्हें सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण/अपीलाण्ट पर था को प्रतिवादीगण के पक्ष में इस आधार पर सिद्ध माना है कि वे इन तनकियों को अपने पक्ष में सिद्ध करने में सफल रहे हैं परंतु परीक्षण न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण किस प्रकार से तनकी संख्या 3 लगायत 11 को सिद्ध करने में सफल रहे है, इस बाबत् कोई विवेचन/विश्लेषण परीक्षण न्यायालय द्वारा नहीं किया गया है। अपीलाण्ट तनकी संख्या 03 को अपने पक्ष में सिद्ध नहीं कर पाये हैं, क्योंकि उनके द्वारा ऐसा कोई तथ्य व साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह स्पष्ट होता है कि पन्ना ने विवादित आराजी को अपनी मृत्यु से पूर्व बतौर वसीयत सुगरी को दे दिया हो। सुगरी ने अपने जीवनकाल में वसीयत के आधार पर समस्त अधिकार नानगा को दे दिये थे परंतु सुगरी का सम्पूर्ण विवादित आराजी पर कोई अधिकार नहीं था अतः

सुगरी द्वारा ऐसी की गयी वसीयत प्रथम दृष्ट्या ही शून्य थी। दौराने वाद भी यदि किसी पक्षकार द्वारा विवादित भूमि का विक्रय कर दिया जाता है तो उस आधार पर दावा पोषणीय नहीं हो, ऐसा कोई विधिक प्रावधान नहीं है। दौराने वाद यदि किसी व्यक्ति द्वारा प्रश्नगत आराजी का बेचान किया जाता है तो उससे दावे की प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं रहता। दावा प्रस्तुत होने के पश्चात् यदि कोई विक्रय कर भी दिया गया हो तो वह विक्रय अवैध है तथा दावा निर्णित होने पर उसका प्रभाव दावे के निर्णय के अनुसार स्वतः हो जायेगा और यदि ऐसे खातेदार/केता को पक्षकार नहीं बनाया गया तो उन्हें आवश्यक पक्षकार नहीं माना जा सकता है और ऐसे व्यक्ति को पक्षकार नहीं बनाये जाने पर दावा चलने योग्य नहीं हो, यह भी उचित नहीं है, क्योंकि जो हक अधिकार विक्रेता को मिलेंगे वही अधिकार दावे के निस्तारण के पश्चात् केता को प्राप्त होंगे। परीक्षण न्यायालय द्वारा आवश्यक तनकीयात कायम नहीं की गयी तथा बनायी गयी तनकीयात पर भी सही प्रकार से निर्णय पारित नहीं कर सरसरी तौर पर निर्णय व डिक्री पारित की गयी है। परीक्षण न्यायालय द्वारा वादीगण/रेस्पो0 की साक्ष्य को नजरअंदाज करके तथा अपीलान्ट/प्रतिवादीगण की साक्ष्य को अनावश्यक रूप से अत्यधिक महत्व देकर तथा बिना कारण साक्ष्य ग्राह्य करके विधिक त्रुटि कारित की है। परीक्षण न्यायालय द्वारा वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को मियाद बाहर मानने में गंभीर विधिक त्रुटि कारित की गयी है, जबकि घोषणा के दावे हेतु कोई मियाद प्रावधित नहीं है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रश्नगत आराजी में मृतक पन्ना की 8 पुत्रियों व उसकी बेवा का बराबर हक अधिकार होना मानते हुए मृतक पन्ना की खातेदारी की भूमि 1/3 हिस्से में बराबर की खातेदारी प्राप्त करने अधिकारी माना है एवं सुगरी द्वारा नानगा के हक में की गयी समस्त आराजी की वसीयत को प्रथम दृष्ट्या शून्य माना है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा परीक्षण न्यायालय द्वारा निर्मित समस्त तनकीयात पर विस्तृत विवेचन/विश्लेषण कर विधिसम्मत निर्णय व डिक्री पारित की गयी है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि कारित नहीं की गयी है। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमायी जाकर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08-12-2004 बहाल रखी जावे। उन्होंने अपने कथनों के समर्थन में डीएनजे 2020(3) पेज 817, आरआरडी 1995 पेज 113 आदि के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

- 5- पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्षकारान द्वारा पत्रावली पर की गयी बहस पर मनन किया तथा प्रस्तुत किये गये न्यायिक दृष्टांतों का सम्मानपूर्वक अध्ययन किया। वादीगण/रेस्पो0 ने परीक्षण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बांंदीकुई के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर प्रश्नगत आराजी में अपने पिता स्व0 पन्नालाल का 1/3 हिस्सा होना कथन करते हुए उक्त

भूमि में मृतक पन्नालाल के स्थान पर अपना हक हिस्सा घोषणा कराने बाबत एवं स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण को पाबंद किये जाने का निवेदन किया। प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा पेश किया गया। परीक्षण न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर 11 तनकीयात कायम की। परीक्षण न्यायालय ने तनकी नम्बर 01 व 02 को मुख्य तनकी मानते हुए दोनों तनकीयों पर विस्तृत विवेचन/विश्लेषण कर वाद वादीगण अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 25-03-2004 के द्वारा खारिज कर दिया। परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25-03-2004 से व्यथित होकर रेस्पो0 अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर के समक्ष प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत पेश की। प्रथम अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08-12-2004 के द्वारा अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर परीक्षण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25-03-2004 निरस्त कर दिया तथा वादीगण/रेस्पो0 को वाद पत्र की मद संख्या 12 ए में वर्णित भूमि का खातेदार घोषित करते हुए प्रतिवादी क्रम 01 लगायत 05 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने के आदेश पारित किये और कथन किया कि उक्त आराजी के 8/27 के हिस्से में वादीगण क्रम 01 लगायत 06 व प्रतिवादी क्रम 06 व 07 के कब्जा काश्त में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं करें। अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08-12-2004 से व्यथित होकर अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण ने मण्डल के समक्ष हस्तगत अपील पेश की है।

- 6- वादीगण/रेस्पो0 ने अपने वाद के समर्थन में परीक्षण न्यायालय के समक्ष नकल जमाबंदी एकीकरण विभाग सम्वत् 2017 प्रदर्श-01 संलग्न है जिसके अनुसार ग्राम करनावर तहसील बसवा जिला जयपुर में स्थित खाता संख्या 97 में स्थित आराजी खसरा नम्बर 203 रकबा 5 बिस्वा, खसरा संख्या 204/2 रकबा 19 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 205 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 210 मि0 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 287 रकबा 18 बिस्वा, खसरा संख्या 297 रकबा 2 बिस्वा, खसरा संख्या 298 रकबा 20 बीघा 12 बिस्वा भूमि मूला, जवाना, सोन्या, सुक्खा पि0 भौरया हि0ब0 2/3, पन्ना पि0 भूरा हि0 1/3 के नाम खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। पत्रावली के साथ रजिस्टर्ड बेचान पत्र दिनांक 24-08-1992 प्रदर्श- 02 संलग्न है। इसके अलावा पत्रावली के साथ नकल जमाबंदी 2041-44 प्रदर्श-03 संलग्न है। जिसके अनुसार प्रश्नगत आराजी मक्खनलाल पि0 मूला, जुवान्या, सोन्या, सुक्खा पि0 भौरया हि0ब0 2/3 सुगरी बेवा पन्ना हि0 1/3 दर्ज रिकार्ड है। उक्त जमाबंदी पर नामांतरकरण संख्या 276 एवं 252 एवं 281 के नोट अंकित है। नकल नक्शा ट्रेस प्रदर्श-04

संलग्न है। इसके अलावा नकल खसरा गिरदावरी सम्बत् 2045 प्रदर्श-05 संलग्न है।

- 7- प्रतिवादी ने अपने पक्ष के समर्थन में प्रदर्श-ए 1 रजिस्टर्ड वसीयत की प्रमाणित प्रति पेश की है।
- 8- वादी ने अपने वाद के समर्थन में गवाह बयान पीडब्ल्यू-01 गंगा, पीडब्ल्यू-02 मकखन कराये हैं। उक्त गवाहान द्वारा अपने बयानों के समर्थन में कोई शपथ पत्र आदि पेश नहीं किये गये हैं।
- 9- प्रतिवादीगण ने अपने पक्ष के समर्थन में परीक्षण न्यायालय के समक्ष अपने पक्ष के समर्थन में गवाह बयान रामस्वरूप डीडब्ल्यू-01, लड्डो डीडब्ल्यू-02, श्योनाथ डीडब्ल्यू-03, प्रकाशचंद डीडब्ल्यू-06, नारायण जिसपर डीडब्ल्यू या पीडब्ल्यू फटा हुआ है, इसके अलावा रामप्रताप जिसपर डीडब्ल्यू या पीडब्ल्यू फटा हुआ है के कराये हैं परंतु इनके द्वारा भी अपने बयानों के समर्थन में कोई शपथ पत्र आदि पेश नहीं किया है, जबकि सीपीसी की पालना में गवाह द्वारा अपने बयानों के समर्थन में शपथ पत्र पेश किया जाना आवश्यक है।
- 10- वादीगण रेस्पो0 ने परीक्षण न्यायालय के समक्ष प्रश्नगत आराजी में अपने पिता मृतक पन्ना का 1/3 हिस्सा होना कथन करते हुए अपने हक हिस्से की घोषणा का अनुतोष चाहा है इसी के साथ प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का भी अनुतोष चाहा है। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण/रेस्पो0 द्वारा परीक्षण न्यायालय के समक्ष अन्तर्गत धारा 88 व 188 के तहत अनुतोष प्राप्त करने हेतु वाद पेश किया गया है। पत्रावली के साथ संलग्न राजस्व रिकार्ड यथा नकल जमाबंदी सम्बत् 2017 एकीकरण विभाग प्रदर्श-01 एवं नकल जमाबंदी सम्बत् 2041-44 प्रदर्श-03 के अनुसार प्रश्नगत आराजी मृतक पन्ना के संयुक्त रूप से 1/3 हिस्से में दर्ज रिकार्ड है। पन्ना की मृत्यु के बाद प्रश्नगत आराजी में वादीगण/रेस्पो0 का समान रूप से हक हिस्सा निहित है इस बाबत् उनके द्वारा परीक्षण न्यायालय के समक्ष वाद पेश किया गया था। प्रस्तुत प्रकरण में पन्ना की मृत्यु के बाद प्रश्नगत आराजी उनकी बेवा सुगरी के नाम 1/3 हिस्से में दर्ज की गयी। उक्त भूमि पन्ना की बेवा सुगरी के नाम किस नामांतरकरण से दर्ज की गयी इस बाबत् किसी भी पक्षकार द्वारा कोई साक्ष्य यथा नकल नामांतरकरण आदि पेश नहीं किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में मृतक पन्ना की मृत्यु के बाद उनके 1/3 हिस्से को उनकी बेवा के नाम दर्ज कर दिया गया था और उनकी बेवा सुगरी ने उक्त समस्त भूमि जरिये रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 08-09-1988 को नानगा के पक्ष में निष्पादित कर दी। प्रस्तुत प्रकरण में हमने सुगरी द्वारा निष्पादित रजिस्टर्ड वसीयत प्रदर्श- ए1 का अवलोकन किया। उक्त वसीयत का अवलोकन करने पर साबित है कि उक्त वसीयत में किसी प्रकार का कोई खसरा नम्बरान व कृषि भूमि बाबत् गांव का

नाम आदि अंकित नहीं है ना ही उक्त वसीयत में यह अंकित है कि वसीयत कृषि भूमि से सम्बंधित है। उक्त वसीयत में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि:-

“बिन्दु संख्या 01- यह है कि मेरे जीते जी मेरी समस्त चल व प्रचल सम्पत्ति की मैं ही मालिक रहूंगी।

बिन्दु संख्या 02- यह है कि मेरे वफात के पश्चात् मेरी छोड़ी हुई समस्त प्रकार की चल व प्रचल सम्पत्ति, नकद नोट, जेवरात, धन धाण्य, लेनदेन, कपडालत्ता, भूमि बाबत् खातेदारी, चाहात, ग्वाडी, तिबारी, बाडा, इत्यादि समस्त प्रकार की सम्पत्ति जो ग्राम करनावर की तन में है व कहीं और भी स्थित हो, समस्त का वारि व मालिक उक्त नानगा पुत्र ज्वान्या माली निवासी करनावर त0 बसवा ही एकमात्र होगा। उक्त नानगा के अलावा अन्य किसी को मेरी छोड़ी हुई सम्पत्ति में किसी किसम का सम्बंध नहीं रहेगा।

बिन्दु संख्या 03- यह है कि मेरी वफात के पश्चात् मेरी भूमि व चाहात बाबत् खातेदारी उक्त नानगा पुत्र ज्वान्य माली करनावर अपने खाते में जरिये नामांतरकरण चढवा लेगा।

बिन्दु संख्या 04- यह है कि आज के पश्चात् देवयोग से मैं अन्य किसी सम्पत्ति की मालिक बन जाऊँ तो उसका भी मालिक मेरी मृत्यु उपरांत उक्त नानगा ही होगा।

बिन्दु संख्या 05- यह है कि यह मेरी अंतिम वसीयत है इसके पूर्व मैंने कोई वसीयत नहीं की है अगर उक्त नानगा के अतिरिक्त अन्य कोई मेरा वारिस बनना चाहे तो वह राज्य पंचों में झूठा माना जावे।

बिन्दु संख्या 06- यह है कि मेरा क्रियाकर्म इत्यादि भी उक्त नानगा ही करेगा एवं मेरी बेटियों को मानता रहेगा व भात इत्यादि भरता रहेगा।”

इस प्रकार उक्त सम्पूर्ण वसीयत का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि उक्त वसीयत में कहीं पर भी प्रश्नगत आराजी यथा खसरा नम्बरान इत्यादि का उल्लेख नहीं किया गया है। बावजूद उसके परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25-03-2004 में उक्त वसीयत को सही होना मानते हुए निर्णय एवं डिक्री पारित की है। इसी प्रकार प्रथम अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08-12-2004 में वसीयत बाबत् यह विवेचन किया है कि “ सुगरी द्वारा नानगा के हक में समस्त भूमि की वसीयत की गयी है वह प्रथम दृष्टया ही शून्य है। परंतु सुगरी द्वारा पन्ना की खातेदारी भूमि के 1/9 हिस्से की भूमि की वसीयत नानगा के पक्ष में अवैध नहीं मानी जा सकती क्योंकि सुगरी अपने हिस्से की भूमि की वसीयत किसी भी व्यक्ति को कर सकती थी।” इस प्रकार अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने भी वसीयत का अवलोकन किये बिना ही उक्त निर्णय एवं डिक्री पारित की है। इस प्रकार परीक्षण न्यायालय एवं अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने उक्त वसीयत पर अपनी अलग-अलग विवेचना करते हुए निर्णय पारित किये हैं। इसके अलावा प्रथम अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने प्रश्नगत आराजी को वादीगण की पैतृक

भूमि होना मानते हुए उनके हक हिस्से का खातेदार घोषित करते हुए प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निर्णय एवं डिक्री पारित की है। यहां यह उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत प्रकरण में प्रश्नगत आराजी संयुक्त खातेदारी की भूमि है। पूर्व में उक्त भूमि पन्ना के संयुक्त खातेदारी में दर्ज थी। उनकी मृत्यु के बाद उक्त भूमि उनकी बेवा सुगरी के साथ संयुक्त खातेदारी में दर्ज रही है। प्रथम अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने वादीगण को उनके हिस्से का खातेदार घोषित करते हुए प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया है जो विधिसम्मत प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण ने विभाजन का अनुतोष नहीं चाहा है। यदि प्रश्नगत आराजी में वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है तो वे संयुक्त रूप से खातेदारी में अपना नाम दर्ज कराने के अधिकारी हैं। पृथक से खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि प्रश्नगत आराजी संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। जब तक प्रश्नगत आराजी का विधिवत रूप से विभाजन न हो तब तक यदि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है तो उनकी प्रश्नगत आराजी में स्थिति एक सहखातेदार की रहेगी ना कि पृथक रूप से खातेदार की। यदि न्यायालय द्वारा वादीगण का वाद स्वीकार कर उन्हें उनके हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है तो उनकी स्थिति एक सहखातेदार की होगी और एक सह खातेदार दूसरे सह खातेदार के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि एक सहखातेदार का कब्जा समस्त सहखातेदारों का कब्जा माना जाता है। उपर्युक्त स्थिति में एक सहखातेदार दूसरे सहखातेदारों को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं कर सकता। परंतु प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने विधिक प्रावधानों को दृष्टिगत रखे बिना निर्णय एवं डिक्री पारित की है। इसी प्रकार परीक्षण न्यायालय ने भी स्थायी निषेधाज्ञा के सम्बंध में अपना किसी प्रकार का विवेचन/विश्लेषण स्पष्ट रूप से नहीं किया है, जबकि प्रस्तुत प्रकरण में विवाद के मुख्य बिन्दु यही हैं जिनके सम्बंध में परीक्षण न्यायालय ने 11 तनकियात कायम की हैं। परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री में तनकी संख्या 1 व 2 पर ही अपना विवेचन/विश्लेषण किया है, जबकि सीपीसी के आदेश 20 नियम 5 के प्रावधानानुसार न्यायालय को प्रत्येक तनकी पर अपना स्पष्ट विवेचन/विश्लेषण करते हुए निर्णय पारित करना आवश्यक होता है। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में परीक्षण न्यायालय ने सीपीसी के प्रावधानों की पालना किये बिना निर्णय पारित किया है। प्रथम अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा भी विधिक प्रावधानों को दृष्टिगत रखे बिना निर्णय व डिक्री पारित की गयी है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय ने भी वसीयत पर स्पष्ट विवेचन/विश्लेषण नहीं किया। इसके अलावा उनके द्वारा धारा 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम पर अपना स्पष्ट विवेचन/विश्लेषण किये बिना ही निर्णय पारित किया गया है। इसके अलावा प्रस्तुत प्रकरण में यदि प्रश्नगत आराजी में वादीगण का हक हिस्सा निहित होता है तो उनकी प्रश्नगत आराजी में स्थिति क्या होगी इसका भी उन्होंने विस्तृत रूप से विवेचन/विश्लेषण नहीं किया

है, क्योंकि प्रशगनत आराजी आज भी संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। संयुक्त खातेदारी की भूमि का बिना विधिवत् विभाजन हुए किसी भी खातेदार को पृथक रूप से खातेदार घोषित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा विधिक प्रावधानों को दृष्टिगत रखे बिना निर्णय एवं डिक्री पारित की है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। हम प्रस्तुत प्रकरण को परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर पैरा संख्या 10 में किये गये विवेचन/विश्लेषण को दृष्टिगत रखते हुए एवं दावे एवं जवाबदावे के आधार पर कायम की गयी प्रत्येक तनकीयात पर उभयपक्षकारान की साक्ष्य ली जाकर प्रत्येक तनकी पर अपना स्पष्ट विवेचन/विश्लेषण करते हुए तनकीवार निष्कर्ष पारित कर नये सिरे से निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं।

- 11- परिणामतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08-12-2004 व परीक्षण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25-03-2004 निरस्त किये जाते हैं। प्रकरण परीक्षण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है की वे पैरा संख्या 10 में किये गये विवेचन/विश्लेषण को दृष्टिगत रखते हुए एवं दावे एवं जवाबदावे के आधार पर कायम की गयी प्रत्येक तनकीयात पर उभयपक्षकारान की साक्ष्य ली जाकर प्रत्येक तनकी पर अपना स्पष्ट विवेचन/विश्लेषण करते हुए तनकीवार अपना निष्कर्ष पारित कर नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। पत्रावलियों के साथ संलग्न अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटाया जावे। पक्षकारान को पाबंद किया जाता है कि वे परीक्षण सहायक कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई के न्यायालय में दिनांक 31-07-2026 को उपस्थित होवें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(डॉ महेन्द्र लोढा)
सदस्य

(डॉ० शिव प्रसाद सिंह)
सदस्य